प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए, भारत में आपदा तैयारियों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से युक्त, यह प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संविधान की धारा 151 के अंतर्गत तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2012 से सितम्बर 2012 के दौरान की गई थी। प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, आठ राज्यों, एक केन्द्र शासित क्षेत्र तथा नोडल मंत्रालयों एवं विभागों अर्थात् पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भू-विज्ञान मंत्रालयों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, कृषि एवं सहकारिता, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग, की फाइलों और दस्तावेजों की संवीक्षा से बना है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य, दोनों स्तरों के लेखापरीक्षा परिणामों को ध्यान में रखा गया था।